अनुसूची घ —फारम स०—

आदेश—पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, घ्ॅ घ का नियम घ्ह्ॅ)

आदेश पत्रक — ता०..से..

........तक

जिला..., सं०..., सन् घ्ॅ...................

....

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम संख्या कौस तारीख घ	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख—सहित f
०	**न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा** आंगनवाड़ी अपील वाद संख्या 127 / 2012 सगुफता वेगम — अपीलार्थी बनाम राज्य एव अन्य — रेस्पाण्डेन्ट्स / विपक्षीगण —:आदेश:— प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.12ई0 विविध वाद संख्या 14 / 2011 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अपील वाद में संक्षेप में मामला यह है कि अपीलार्थी / आवेदिका श्रीमति सगुफता वेगम पति मो0 मसरफ साकिन सेविका केन्द्र स0 85 महेशपुर पासवान टोला वो प्रभारी सेविका केन्द्र संख्या 86 परियोजना ,सुपौल,जिला सुपौल द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल के वाद संख्या वाद संख्या 04 / 2011में पारित आदेश ज्ञापांक 750 / प्रो0 दिनाक 19.07.11 के आलोक में ऑगनबाड़ी केन्द्र कोड–85 के सेविका पद से चयनमुक्त एवं पोषाहार गबन की राशि वसूली तथा केन्द्र कोड–86 के पोषाहार गबन की राशि की वसूली हेतु पारित आदेश के विरूद्व अपील दायर किया गया है । अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम मे कथन करते हैं कि अपीलार्थी के उपर निरीक्षण के समय कतिपय आरोप लगाये गए है जो निम्नप्रकार हैः— उपस्थित जनता में लाभुकों की संख्या नगण्य थी ,पंजियॉ उपलब्ध नहीं थी, केन्द्र पर गुणवत्ता का तकरीबन 60 किलो चावल तथा 30 किलो ग्राम दाल उपलब्ध था, लेकिन टी.एच.आर. प्राप्त करने के लिए लाभार्थी उपस्थित नहीं था, राम नरेश कुमार राम पिता गणेश राम ,महेशपुर वार्ड न0 01 ने केन्द्र सदा बंद तथा केन्द्र पर खिचड़ी के साथ अन्य वस्तु नहीं रहने की बात कही एवं केन्द्र संख्या 85 पासवान टोला महेशपुर के निरीक्षण के कम में ललन	

मंडल पिता नथुनी मंडल तथा शेख अब्दूल रहमान पिता मुस्लिम उद्दीन ने केन्द्र न खुलने तथा अन्य आरोप लगाये।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उपरोक्त सारे आरोपों के निरस्त हेतु अपीलार्थी ने विस्तार से स्पष्टीकरण दिया। समर्थन में उन सभी व्यक्तियों का शपथ पत्र व्यान भी दाखिल किया जिन लोगों के व्यान पर अपीलार्थी के विरूद्व आरोप पत्र तैयार किया गया। केन्द्र संख्या 85 तथा केन्द्रों संख्या 86 से संबधित पोषाहार कय समिति एव टी.एच.आर पंजियों की छायाप्रति साथ में पोषाहार कय पंजियों की छायाप्रति ,पोषाहार उपस्थिति की छायाप्रति तथा केन्द्र सेविका/सहायिका उपस्थित पंजियों की छायाप्रति के सारे कागजात बतौर सबूत प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,स सुपौल वगैर उक्त दोनों केन्द्रो की पंजियों की जॉच पड़ताल तथा बगैर दोनों केन्द्रों के लाभार्थीगण से पूछताछ के अपने ज्ञापांक 433 दिनांक 20.05.11 में अपीलाथी/आवेदिका के विरूद्व आरोपों के अतिरिक्त अन्य बेबुनियाद आरोपों को तामिल कर दिनांक 16.07.11 के आदेश से आवेदिका/अपीलार्थी के चयन मुक्त करने तथा विगत 6 माह में निर्गत पोषाहार की राशि बैंक में जमा करने का आदेश अपने ज्ञापांक 750 दिनांक 19.07.11 द्वारा दिया। उक्त आदेश के खिलाफ अपील संख्या 14/11 जिला पदाधिकारी, सुपौल के समक्ष दायर किया गया तथा प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश को निम्न आधार पर निरस्त करने तथा अपीलार्थी /आवेदिका को आरोपमुक्त करने की प्रार्थना की गयी।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के कम में यह भी कथन करते है कि जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश अवैध एवं विधि अनुकूल है वो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने ललन मंडल तथा अब्दूल रहमान के शपथ पत्रों को बिल्कूल तरजीह नहीं दी । दोनों व्यक्तियों के शपथ पत्र पूर्ण रूपेण स्पष्ट तथा निष्पक्ष तथा धटना की वास्तविकता पर दिया गया ब्यान है बतलाते है। प्रश्नगत आदेश में दिनांक 01.06.11की तिथि में चन्द ग्रामीणों द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल को समर्पित शिकायत आवेदन में जिन लोगों के नाम की चर्चा है वे सारे लोग जैसे शत्रुध्न कामत, लालो साह, मो0 सत्तार एवं मो0 शौकत तथा अन्य का हलफीनामा ब्यान की छायाप्रति बहस के दरम्यान दाखिल किया है। स्पष्ट तौर पर तथा विस्तार से आवेदिका /अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत पत्र को वे सभी लोगों ने इन्कार किया है । ब्यान में यह तथ्य भी उजागर है कि पंचायत चुनाव में रंजिस वो ग्रामीण राजनीति तथा आपसी मनमुटाव क कारण आरोप लगाये गये ई इसके अलावा अनेक तथ्यो का खुलासा भी किया है जिसको आधाार मानकर उक्त शिकायत पत्र जिला पदाधिकारी को समर्पित किया गया था ।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने खुले विचार तथा निष्पक्ष होकर आवेदिका/अपीलार्थी के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में वर्णित तर्कपूर्ण वो साक्ष्य के पूर्ण तथ्यों पर विचार न कर चयन मुक्त का आदेश पारित किये बल्कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक 433 /प्रा0 दिनांक 20.05.11 के माध्यमसे जहॉ आवेदिका से स्पष्टीकरण की मॉग करते है साथ ही बाल विकास योजना पदाधिकारी को उक्त केन्द्र संख्या 85 वा 86 के संचालन में पायी गयी त्रुटियों वो अनियमितता को आधार बनाकर चयन मुक्त करने का प्रस्ताव अपनी अनुशंसा के साथ भेजने का निर्देश भी देते है साथ ही दोनों केन्द्रो पर विगत एक वर्ष में गबन की गयी खाद्यान की राशि की वसूली कर प्रतिवेदित करने का आदेश भी देते है । अपीलाथी/आवेदिका से स्पष्टीकरण मॉगे जाने के साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को चयन मुक्त हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया जाना इस तथ्य का प्रमाण है कि वे स्पष्टीकरण पूछे जाने के समय

ही निर्णय लेने का मन बना चुके थे अपीलकर्त्ता/आवेदिका को येन केन प्रकारेण चयन मुक्त कर देना है । उपरोक्त मानसिकता में लिये गये जिला प्रोग्रम पदाधिकारी का निर्णय निष्पक्ष नियमानुकूल वा स्वतंत्र नहीं माना जा सकता है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते है कि उपरोक्त सारे तथ्यों का तर्कपूर्ण तथा साक्ष्यों के आधार पर भी माननीय जिला पदाधिकारी,सुपौल ने आवेदिका का उक्त अपील सं0 14/11 खारिज करते हुए प्रोग्राम पदाधिकरी के आदेश को कायम रख दिया । आवेदिका इस रीभिजनल वाद के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट उल्लेख करते हुए इस न्यायालय से निवेदन करती है कि जिला पदाधिकारी, सुपौल के आदेश दिनांक 28.02.12 नाजायज वो गलत है । आवेदिका के विरूद्ध लगाये गये आरोपों एवं उपलब्ध कागजी साक्ष्यों के आधार पर असत्य है । जिन कागजी साक्ष्यों और तथाकथित जिन शिकायत कर्त्ताओं तथा अन्य ग्रामीण द्वारा पेश शिकायतों को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने नजरअंदाज करते हुए वो निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किये है, उसी प्रकार जिला पदाधिकारी ,सुपौल ने भी अपने अपीलीय आदेश दिनांक 20.02.12 में भी अभिलेख पर उपलब्ध सारे साक्ष्यों की चर्चा तक नहीं किये है ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकारी विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं जिला पदाधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह वाद समाज कल्याण विभाग,बिहार पटना द्वारा गठित संयुक्त जॉच दल श्री मनोज चौधरी प्रोक्योरमेण्ट पदाधिकारी आई0सी0डी0.एस0 निदेशालय, बिहार, पटना एवं श्री संदीप कुमार परीक्ष्यमान उप समाहर्त्ता ,सुपौल के द्वारा प्रश्नगत केन्द्र का निरीक्षण दिनांक 15.05.2011 को किया गया है वो निरीक्षण प्रतिवेदन में उनके द्वारा उपरोक्त आरोप पाये जाने की पुष्टि की गयी है वो उसी आधार पर आवेदिका को चयन मुक्त किया गया है। अतएवं जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पारित आदेश को बरकार रखते हुए इस वाद को खारिज किया जाता है । इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

7/12/2013
आयुक्त
कोशी प्रमडल, सहरसा

7/12/2013
आयुक्त
कोशी प्रमडल, सहरसा